अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, कृपया बैठ जाइए।

.......*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : उनकी माफी स्वीकार करने के बजाए उनकी आलोचना की जा रही है।.......*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय यह बहुत ही असंसदीय है। क्षमा याचना मांग लिये जाने बाद.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.......*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : क्षमा याचना मांग लिये जाने पर आप उनकी आलोचना कैसे कर सकते हैं.......*(व्यवधान)* महोदय, क्षमा याचना मांग लिये जाने के बाद, आलोचना करते रहना ...य है। आप पहले ही सदस्यों की भर्त्सना कर चुके हैं... ...न)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं तो व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कृपया मुझे कुछ समय, केवल आधा मिनट दीजिए। मैं वह प्रक्रिया आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जो आपने अपनाई है.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.......*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : महोदय, वह प्रक्रिया जो आपने अपनाई है मैं उस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं उस प्रक्रिया के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।.......*(व्यवधान)* महोदय, मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.......*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : महोदय, वह प्रक्रिया जो आपने अपनाई है मैं उस बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपने कुछ दल के नेताओं को समय दिया है। कृपया सभी दल के नेताओं को समय दीजिए। श्री बनातवाला एक दल के नेता हैं, प्रो. सैफुद्दीन सोज एक दल के नेता हैं, श्री रामदास आठवले एक दल के नेता हैं, कुमारी मायावती एक दल की नेता हैं। सभी दलों के नेताओं को समय दीजिए उसके बाद आप प्रधानमंत्री जी से सदन में आने के लिए कह सकते हैं। महोदय, यह ठीक नहीं है। आपने केवल कुछ दलों को चुना है। सभी दलों के नेताओं को समय दीजिए।.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बूटा सिंह : यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में पूरे सदन तथा पूरे देश को चिंता है। इसलिए सभी दलों के नेताओं को समय दीजिए। मेरे जैसे निर्दलीय सदस्यों को समय न दीजिए परन्तु दलों के नेताओं को समय दीजिए।.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.......*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो. सोज, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बात को समझिए।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लालू जी और श्री मुलायम सिंह दोनों ने ही उस घटना पर खेद व्यक्त किया है। मैं केवल नेताओं को ही बुला रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, कल सदन में जो कुछ हुआ, उससे हम सब लोगों का माथा शर्म से झुक गया। सदन में विरोध प्रकट किये जाते रहे हैं। लेकिन कल तो लक्ष्मण रेखा पार हो गई। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं। मतभेदों को प्रकट करने का एक तरीका है। हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। कल जो कुछ हुआ, वह हमारे दावे को झुठलाता है। लोकतंत्र मर्यादाहीन नहीं हो सकता। फिर वह भीड़तंत्र में बदल जायेगा। अगर यह सदन, यह संसद शालीनता से व्यवहार नहीं करेगी, इसके सदस्य शालीनता से आचरण नहीं करेंगे तो प्रदेशों की विधान सभाओं में क्या होगा, क्या हो रहा है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत का शासन, बहुमत की बात मानना। जो अल्पमत में है, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिये लेकिन उन्हें यह स्वीकार भी करना चाहिये कि वे अल्पमत में हैं और भविष्य में जब वे बहुमत से आयेंगे तो फिर उनकी बात स्वीकार्य होगी। अब अगर अल्पमत यह फैसला कर ले कि वह बहुमत की चलने नहीं देगा, सदन को चलने नहीं देगा, थोड़ी देर के लिये प्रतिरोध-विरोध समझ में आ सकता है।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

जैसा कामरेड इन्द्रजीत गुप्त ने कहा इस सदन का इतने दिनों तक लगातार बहिष्कार होता रहा लेकिन एक सीमा में रहे। कल तो सारी सीमायें टूट गईं। अब मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं 40 साल से अधिक समय से संसद से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा पीड़ादायक, ऐसा दुखदायी दृश्य कभी देखने को नहीं मिला। कल जो कुछ हुआ, दो दलों के नेताओं – श्री मुलायम सिंह यादव और श्री लालू प्रसाद ने माफी मांगी है। वे कहते हैं कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी मॉफी मांगी थी। सदन को उसे स्वीकार करना चाहिये। हम भी स्वीकार करते हैं। मैं अपने संसदीय कार्यमंत्री

श्री जी.एम. बनातवाला : वे माफी भी मांगते हैं, क्रिटिसाईज भी करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसके लिए भी कुछ कहिये।

شری جی ایم بنات والا (پوننانی) : وہ معافی بھی مانگتے ہیں، کریٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے لئے بھی کچھ کہیے۔

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपसे सहमत हूँ।

अगर माफी हृदय से है तो सबसे बड़ी सजा है। मैं संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है, वह उस पर जोर न दें और सदन आगे कार्रवाई चलाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कल कुछ सदस्यों के आचरण, विशेषकर श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) और प्रो. अजित कुमार मेहता के आचरण के बारे में मेरे द्वारा आज की गई टिप्पणियों को देखते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा आज प्रस्तुत किये गऐ प्रस्ताव को देखते हुए श्री लालू प्रसाद और श्री मुलायम सिंह यादव ने बिना किसी शर्त के क्षमा याचना मांगी है।

इसी को देखते हुए, मैं संसदीय कार्य मंत्री से श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) और प्रो. अजित कुमार मेहता के निलंबन का प्रस्ताव वापिस लिये जाने के लिए सभा से अनुमति चाहता हूँ। इससे पहले कि संसदीय कार्य मंत्री बोलने के लिए खड़े हों, मैं सदन के उन नेताओं के प्रति व्यक्त किया गया अपना आभार कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित करना चाहता हूँ जिन्होंने पीठाध्यक्ष की प्रतिष्ठा और सभा की सप्रभुता बनाए रखने में मदद देने के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की है।

.....(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : परन्तु यहां अन्य सदस्य भी थे, जिन्होंने उन्हें ऐसा कहने की अनुमति नहीं दी गई थी।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी गई।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, सदन में बिना शर्त हृदय से की गई क्षमा याचना को देखते हुऐ मैं दोनों सदस्यों श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) और प्रो. अजित कुमार मेहता के निलंबन के लिए मेरे द्वारा लाए गए प्रस्ताव को वापस लेने के लिए सभा से अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री मदन लाल खुराना द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति देती है।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराह्न 12.47 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनिमय, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सीमा सुरक्षा बल (अधिकारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति और अधिवर्षिता) संशोधन नियम, 1998 जो 27 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 273 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी (संशोधन) नियम, 1998 जो 27 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 274 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सुरक्षा बल (चिकित्साधिकारी कॉडर) संशोधन नियम, 1998 जो 27 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 275 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1039/98]

(2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 1998 जो 26 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 272 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1040/98]